न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,सीकर
पीठासीन अधिकारीः— प्रकाश चन्द्र चौधरी, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या :—35/16/अपील

1 रामगोपाल
2 ओमप्रकाश } पुत्रगण रूड़मल
3 राकेश
4 शुभम पुत्र गजानन्द
5 बिदामी देवी पत्नी गजानन्द
6 विजय कुमार पुत्र सांवरमल } नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता
7 पंकज पुत्र सांवरमल } बसन्तीदेवी पत्नी सांवरमल
8 बसन्ती पत्नी सांवरमल
समस्त जाति कुमावत निवासीगण मोहल्ला डाकवालों का वार्ड नं0 8 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्टस

बनाम

तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 2306 दिनांक 18.06.2012
ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर

वकील अपीलान्ट श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया

निर्णय दिनांकः— 03.01.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 4255/5793 रकबा 0.35 है0 अवस्थित है। जिसमें अपीलांटान का 5/12 हिस्सा पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि शमशान भूमि के रूप में दर्ज किये जाने बाबत कुछ ब्राहमण परिवारों द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष एक फर्जी समर्पणनामा पेश किया गया। जो इस भूमि के खातेदार ही नहीं है। शमशान भूमि उपरोक्त खसरा नम्बर से पूर्वी तरफ की भूमि है तथा वही शमशान स्थल है। उक्त समर्पणनामा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा खसरा नम्बर 4255/5793 की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर नामान्तकरण संख्या 2306 दिनांक 18.06.2012 स्वीकार कर दिया गया।

योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा समर्पणनामा का अवलोकन किए बिना ही एवं खातेदारी में खातेदारान के नाम का मिलान किए बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांटान को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2012 में स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 4255/5793 रकबा 0.35 है0 में से 0.15 है0 भूमि शमशान स्थल में आने की इबारत अंकित है फिर भी योग्य न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा सम्पूर्ण रकबा 0.35 है0 को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर

तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2306 दिनांक 18.06.2012 ग्राम रींगस को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादग्रस्त नामान्तकरण कथित रूप से वादग्रस्त आराजी का उपयोग परिवर्तन होने के आधार पर सहखातेदारान द्वारा राज्य सरकार के हित में किये गये समर्पण के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलांट के अनुसार उसकी समर्पण में सहमति नहीं होने से यह उस पर बाध्यकारी नहीं है तथा उक्त समर्पणनामे के आधार पर उसे अपने जायज खातेदारी हकूक से वंचित होना पड़ रहा है। स्थूल रूप से अभिलेख से अपीलांट के कथन की ताईद होती है। अतः चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण निरस्त किया जाता है तथा इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह समर्पणनामा, समर्पणनामा करने वाले सहकाश्तकारान, भूमि के मौके पर वास्तविक उपयोग आदि को ध्यान में रखकर सम्बंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर